आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या –302 / 2022
प्रमोद नारायण पाण्डेय
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	*आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर*	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
02.03.2023	यह वाद समाहर्त्ता–सह–जिला दंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा आपूर्ति अपील वाद सं0–06 / 2022–23 में दिनांक–06.09.2022 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। वाद का सारांश यह है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मीनापुर द्वारा दिनांक 27.08.2020 को पुनरीक्षणकर्ता के दुकान की जाँच की गई और जाँच प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर को समर्पित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक 2738 दिनांक 01.09.2020 द्वारा पुनरीक्षणकर्ता से निम्न अनियमितताओं के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गयी :– (i) शैल देवी कार्ड सं0–16300157, यूनिट–07 के द्वारा बताया गया कि आपके द्वारा 07 यूनिट की राशि 110 रूपया लिया गया, जबकि प्रति यूनिट 13 रूपया लेना है। (ii) जाँच के क्रम में आपके दुकान से सम्बद्ध उपभोक्ताओं के द्वारा बताया गया कि आपके द्वारा उपभोक्ताओं के बीच दाल का वितरण नहीं किया गया है। (iii) जाँच के क्रम में आपके द्वारा जाँच पदाधिकारी के समक्ष भंडार पंजी, वितरण पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया। (iv) आपके द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के नियमों का घोर उल्लंघन किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उक्त आरोप के लिए	

WEB COPY NOT OFFICIAL

पुनरीक्षणकर्ता से स्पष्टीकरण के साथ खाद्यान्न एवं किरासन तेल के भंडार पंजी तथा वितरण पंजी/कैशमेमो/ई0–पौस ट्रांन्जेक्शन की प्रति की मांग की गयी।

पुनरीक्षणकर्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने आदेश ज्ञापांक 3025 दिनांक 01.10.2020 द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। उक्त के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता द्वारा CWJC No. 2216/2021 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.01.2022 को पारित आदेश के आलोक में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा समाहर्त्ता–सह–जिला दंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर के न्यायालय में वाद सं0–06/2022–23 दायर किया गया, जिसमें समाहर्त्ता द्वारा दिनांक 06.09.2022 को आदेश पारित करते हुए पुनरीक्षणकर्ता के अपील आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। समाहर्त्ता के आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता द्वारा इस न्यायालय में पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि :–

(i) पुनरीक्षणकर्ता के कारण–पृच्छा के जवाब पर विचार किये बिना अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर एवं समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर द्वारा आदेश पारित कर दिया गया।

(ii) पुनरीक्षणकर्ता को बिना जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराये स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

(iii) पुनरीक्षणकर्ता द्वारा खाद्यान्न और किरासन तेल का वितरण प्रति माह पंचायत स्तरीय निगरानी समिति के देख–रेख में किया जाता है।

(iv) कारण–पृच्छा में उल्लेखित शैल देवी द्वारा दिनांक 17.09.2020 को शपथ पत्र दिया गया है कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा सभी सामानों का वितरण नियमित रूप से किया जाता है।

(v) आदेश में उल्लेखित निर्मला देवी, उषा देवी, रेखा देवी, मुन्नी देवी एवं कृष्ण देवी द्वारा शपथ पत्र समर्पित किया गया है कि विक्रेता द्वारा खाद्यान्न एवं किरासन तेल नियमित रूप से निर्धारित मात्रा में निर्धारित दर पर दिया जाता है।

वहीं विद्वान विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि श्री

WEB COPY NOT OFFICIAL

पाण्डेय, जन वितरण प्रणाली विक्रेता के विरूद्ध पूर्व में भी अनियमितता पायी गयी थी। अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक 334 दिनांक 04.02.2020 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी। दुबारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा दिनांक 27.08.2020 को जाँच के क्रम में गंभीर अनियमितताएं पायी गयी, जिसके आधार पर श्री पाण्डेय से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। प्राप्त स्पष्टीकरण को असंतोषप्रद पाते हुए अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द की गयी है, जो सही एवं उचित है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक को सुनने, वाद अभिलेख तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि :–

(i) प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मीनापुर द्वारा श्री पाण्डेय, विक्रेता के दुकान के जाँच के क्रम में पायी गयी अनियमितताओं के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। प्राप्त स्पष्टीकरण पर विचारोपरांत अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी आदेश पारित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध विक्रेता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 2216/2021 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.01.2022 को पारित आदेश के आलोक में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा समाहर्त्ता–सह–जिला दंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर के न्यायालय में वाद सं0–06/2022–23 दायर किया गया, जिसमें समाहर्त्ता द्वारा दिनांक 06.09.2022 को मुखर आदेश पारित करते हुए पुनरीक्षणकर्ता के अपील आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

(ii) पुनरीक्षणकर्ता पर निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूल करने, खाद्यान्न का वितरण नहीं करने, अनेक उपभोक्ताओं का किरासन तेल एक ही उपभोक्ता को उठाव करा देने एवं जाँच अधिकारी के समक्ष भंडार–पंजी, वितरण–पंजी प्रस्तुत नहीं करने का प्रमाणित आरोप है।

(iii) निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूलना, खाद्यान्न का वितरण नहीं करना एवं अनेक उपभोक्ताओं का किरासन तेल एक ही उपभोक्ता को देना **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के नियम 14(i), 25 (i)(ड़)** एवं अनुज्ञप्ति में निहित शर्तो का उल्लंघन है।

WEB COPY NOT OFFICIAL

	(iv) विक्रेता द्वारा जाँच अधिकारी के समक्ष भंडार–पंजी, वितरण–पंजी प्रस्तुत नहीं करना बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के नियम 14(viii) का उल्लंघन है, जिसमें अंकित है कि *"निरीक्षी पदाधिकारीयों के निदेश के आलोक में अनुज्ञप्तिधारी खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं के आवंटन और वितरण से संबंधित बहियों और अभिलेखों को प्रस्तुत करेगा तथा ऐसी अन्य सूचनाएँ प्रस्तुत करेगा जैसा कि निरीक्षी पदाधिकारीयों द्वारा मांगी जाय।"* इससे स्पष्ट होता है कि विक्रेता द्वारा अपनी अनियमितता को छुपाने के लिए जाँच अधिकारी के समक्ष भंडार पंजी एवं वितरण पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया और बाद में फर्जी तरीके से संधारित करके अपने स्पष्टीकरण के साथ अनुमंडल पदाधिकारी को समर्पित किया गया। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाते हुए श्री पाण्डेय द्वारा दायर पुनरीक्षण वाद को अस्वीकृत किया जाता है। **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त**	

WEB COPY NOT OFFICIAL